

ब अदालत व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 17/2025 ना० तह० वाचक उप-तहसील पुखरी/2024/

तारीख दायर : 19-03-2025

श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्र श्री दितू गांव धमला, परगना त्रयोदी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

ईश्तहार/मुश्त्री मुनादी,

श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्र श्री दितू गांव धमला, परगना त्रयोदी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन—पत्र व व्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड में श्रीमती बिंदी कुमारी पुत्री श्री दितू दर्ज है जोकि बिलकुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल करोड़ी पटवार वृत्त पुखरी, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम श्रीमती विन्दी देवी पुत्री श्री दितू दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थिया का व्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस ईश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चर्स्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस ईश्तहार के प्रकाशन की तिथि के उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिया का नाम श्रीमती विन्दी देवी पुत्री श्री दितू की जगह श्रीमती बिंदी कुमार पुत्री श्री दितू दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त पुखरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह ईश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 19-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी अधिकारी ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री खैमदी राम, निवासी गांव अप्पर मामूल, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि० प्र०।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी श्री संजय कुमार पुत्र श्री खैमदी राम, निवासी गांव अप्पर मामूल, डाकघर घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हि० प्र० ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, व्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी सभी बहन की मृत्यु तिथि 09-10-2023 है, जोकि ग्राम पंचायत घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की बहन की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत घटासनी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अगल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी अधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 11 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-160-61

दिनांक : 20-03-2025

श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिंगा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिंगा, विकास खण्ड सलूणी

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2882 Dated 30-01-2025.

2. शपथ—पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण—पत्र
5. आधार कार्ड
6. परिवार नकल

जिसमें आवेदिका श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिंगा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका श्रीमती कांता की पुत्री पल्लवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 30-01-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिंगा, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि 26-01-2007 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित

अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका श्रीमती कांता पत्नी धनी राम, गांव व डाकघर लिंगा की पुत्री पल्लवी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव लिंगा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 17 ना0 तह0/वाचक/उप तह0/तेलका/2025-162-63

दिनांक : 20-03-2025

जोधा राम पुत्र जगो, गांव झौड़ा, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार/मुश्त्री मुनादी।

जोधा राम पुत्र जगो, गांव झौड़ा, परगना जुंड, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा ने इस अदालत में एक आवेदन—पत्र व व्यान हल्फी पेश किया है कि परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आठवीं कक्षा के प्रमाण—पत्र व बच्चों के शिक्षा प्रमाण—पत्र में मेरा नाम जोधा राम दर्ज है जोकि सही है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल झौड़ा, पटवार वृत्त सेरी, उप-तहसील तेलका में मेरा नाम जोध सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का व्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार/मुश्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम जोध सिंह के बजाये जोध सिंह उर्फ जोधा राम दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त सेरी को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 20-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 10 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025—164—65

दिनांक : 20—03—2025

सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सालवा, विकास खण्ड सलूणी।

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2877 Dated 30-01-2025.
2. शपथ—पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. अप्रायपत्ता प्रमाण—पत्र
5. आधार कार्ड
6. पेन कार्ड

जिसमें आवेदक श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री सुरिन्दर कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 30—01—2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा, उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20—07—1971 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक सुरिन्दर कुमार पुत्र माधो राम, गांव मंझली, डाकघर सालवा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सालवा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20—03—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप—तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत श्री आयुब मोहम्मद नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील तेलका,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 10 ना० तह०/वाचक/उप तह०/तेलका/2025-166-67

दिनांक : 20-03-2025

बिट्टू राम पुत्र बिन्दरो राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रेकड़ी, विकास खण्ड सलूणी।

प्रतिवादी।

विषय.—मृत्यु तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या:-HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4732 Dated 27-02-2025.

2. शपथ—पत्र
3. मृत्यु रिपोर्ट
4. अप्राप्यता प्रमाण—पत्र
5. आधार कार्ड
6. पेन कार्ड

जिसमें आवेदक श्री बिट्टू राम पुत्र बिन्दरो राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पिता बिन्दरो राम की मृत्यु तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक श्री बिट्टू राम के पिता बिन्दरो राम की मृत्यु दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ—पत्र व जारी मृत्यु रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण—पत्र जो दिनांक 27-02-2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्री बिन्दरो राम पुत्र कन्ठ, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी, उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा की मृत्यु तिथि 25-10-1993 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में बिन्दरो राम पुत्र कन्ठ राम, गांव नेलनी, डाकघर द्रेकड़ी की मृत्यु तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव द्रेकड़ी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील तेलका, जिला चम्बा (हिं0प्र0)।

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato, r/o Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P.Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato, r/o Village Bari, P.O. Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed on affidavit for registration of Delayed Birth of his/her i.e. 18-04-1964 for further entry in the records of Gram Panchayat Sachuine, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Smt. Nakhro Devi d/o Sh. Aato	18-04-1964

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in the records of concerned Gram Panchayat Sachuine may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 18th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*

In the Court of Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)

Smt. Savita Devi w/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P.Applicants.

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Smt. Savita Devi s/o w/o d/o Sh. Kuldeep Kumar, r/o Village Jagat, P.O. Ranuhkothi, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed affidavit for the registration of Delayed Birth of his/her daughter i.e. 22-06-2009 for further entry in the records of Gram

Panchayat Jagat, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances birth could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Tamanna d/o Kuldeep Kumar	22-06-2009

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of birth of above named in the records of concerned Gram Panchayat Jagat may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this 18th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).*
